

**कार्यालय,  
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/1071

संलग्नक- दिनांक: 15-9-2020

**:-कार्यालय ज्ञाप:-**

अखिल भारतीय तस्करीही शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्गिली पारवर्धन और इमिडिया, नई दिल्ली द्वारा संचालित वर्ष 2020-21 हेतु विधोक्त राष्ट्रीय तस्करीही शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के तत्पश्चात् प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संचालन हुई। बैठक में सचिवि द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पारवर्धन/प्रवेश सम्पन्न इष्टि सहीत अन्य सभी पर विचार करते हुए मात्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त को अनुमोदन में सम्बद्धता सचिवि की बैठक के 40-3 में कियेला इन कार्गिली पारवर्धन संयोजित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता सचिवि द्वारा प्रदान विस्तार-विस्तार का निर्णय निर्णय लिया गया :-

शिक्षी क्षेत्र में स्थापित विधोक्त इन कार्गिली पारवर्धन संयोजित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं मात्र 2020-21 हेतु पीसीआईई द्वारा जारी संस्थाएं अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुमोदन प्रदान करने का नया नया नया पारवर्धन/प्रवेश सम्पन्न की मात्र मात्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का सचिवि द्वारा विस्तार-विस्तार किया गया एवं सर्वसम्पति को पीसीआईई द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार को अनुमोदन में मात्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता सचिवि की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय को अनुमोदन में निम्न संख्या को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु निर्णयित जारी की अखिल पारवर्धन एवं प्रदान अखिल प्रवेश सम्पन्न हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पारवर्धन का नाम	पीसीआईई द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश सम्पन्न	पीसीआईई /परिषद द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश सम्पन्न
1	1004	सुभाष अखिल ज्योति कार्गिली, जिला एच पी- रायपुर, मिर्जापुर।	विशेष इन कार्गिली	00	00

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ सभ्य पीसीआईई/पीसीआईई द्वारा निर्णयित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ सभ्य प्रदान प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं सभ्य सभ्य प्राथमिक शिक्षा परिषद निर्णयित शर्तों का पूर्णतः पालन करनी। 2020 तक सभ्य निर्णयित प्रदान एवं आवेदों का अनुमोदन करनी एवं सुभाष निर्णयित सचिवि द्वारा निर्णयित सुभाष सभ्य अखिल प्रवेश सम्पन्न हेतु मात्र 20-2020/- अखिल, जो वर्षीय कार्गिली पारवर्धन हेतु मात्र 20-2020/- अखिल एवं मात्र 20-2020/- अखिल कार्गिली पारवर्धन के अखिल, हेतु मात्र 20-2020/- अखिल सुभाष ही अखिल प्रदान/प्रदान में प्रदान किए अखिल, अखिल के अखिल मात्र/आवृत्तों में सुभाष की संख्या में मात्र-0000 का प्रदान प्रदान किये किये जाने वाले अखिल प्रदान शर्तों, और अनुमोदन कार्गिली शिक्षा

*(Handwritten signature)*

- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बसाये गये डिप्टि/जिबो/अपिजिबो/साइबो/मिडीसी एवं मिटेराक, पब्लिक शिक्षा, 2020, अनुसूचत प्रदेश पीएस परीषद, 2020 तथा पब्लिक शिक्षा परीषद, 2020 द्वारा बसाये गये डिप्टी, डिप्टिबो, अटीसी, मिटीसी का पालन करने के लिए बनाए होगी।
- ✓ विनियम इन कार्यों को पारदर्शकता की संस्थाएं यदि वे, सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उपायकारित संस्था का होना और निरिक्त रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था तथा उपाध्यक्षी होगी। पब्लिक शिक्षा परीषद, अनुसूचत प्रदेश पीएस परीषद, पब्लिक शिक्षा मिटेराक एवं पब्लिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई नुक़्त टाकर किया जाता है तथा टाकर नुक़्त के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकृति संबंधी आदेश प्रिबैत किया जाता है तो समस्त प्रतिकृति संबंधित संस्था को कारी होगी।
- ✓ विनियम इन कार्यों को पारदर्शकता संगठित करने वाली संस्थाओं को अनुसूचत प्रदेश पीएस परीषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बसाये गये के लिए आर्गनाइजेशन प्रवेश हेतु कानूननित प्रवेश होने के पूर्व पीएमडीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परीषद कार्यवाही को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्ही प्रवेश की (आर्गनाइजेशन के माध्यम से प्रवेश संस्था स्थापना का लीप प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जावेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट नवीनप्राप्त आवाहन विद्यार्थी का अनुपादन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, आज-काल, उपकरण, धन किया जाने वाला शुल्क, आयगाथा शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-वैशिक्षण हेतु उपयुक्त पर्यावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिन टैकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक पर्यावरण सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संगठित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु शिक्षण प्रक्रिया के समस्त उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त, भूमि-आवन, कर्मीय, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में उपयोग किया जाता है और परीषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपयोग का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धित करने की अनुमति की जावेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निर्देशन दौरान यदि संस्था में भूमि, स्टाफ, कर्मीय, उपकरण एवं अन्य स्टाफ सम्बन्धित पीएमडीआई/पीएस परीषद के सम्बन्धित उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धित कर ही जावेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुपादनकारक कार्यवाही की जावेगी।

(सुनील कुमार शर्मा)  
 सचिव

पुसं- पब्लिक/परीषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि-

ज्वाला/मिडीसी/PH, KRISHAK COLLEGE OF PHARMACY, VILL & POST-RAJGARH, MIRZAPUR-331001

  
 (सुनील कुमार शर्मा)

**बाराँस,**  
**राजि. प्राविधिक शिक्षा परिषद,**  
**उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राविधिक परिषद सम्बद्धता/2021/3537

संख्या: दिनांक: 09/08/2021

प्रार्थना पत्र:-

उच्चिष्ठ भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय कउमिष्ठित आँक इंणुसरा, नई दिल्ली द्वारा वीक्षण सत्र 2021-22 हेतु विषयोंका स्वीकृत तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदित प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता सम्बद्धता विनियम प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08.08.2021 को परिषद बाराँस में सम्बद्धता समीक्षा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण हो सम्बद्धता संस्थाओं को सम्बद्धता विनियम प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। प्रवेश परीक्षा बुद्धि परीक्षा अन्य मटी पर विचार करने हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विनियम प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विनियमित करने के उपरान्त प्रत्येक संस्था एवं उसमें उपस्थित प्रवेश परीक्षा हेतु सम्बद्धता विनियम प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4854-KRISHAK COLLEGE OF PHARMACY,VELL & POST-RAJGARH,MIRZAPUR-201001

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एडमिशन/सीटों/द्वारा वीक्षण/अनुमोदित द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश परीक्षा	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश परीक्षा
1	DIPLOMA IN PHARMACY	50	50

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एडमिशन/सीटों/द्वारा वीक्षण/अनुमोदित द्वारा विधेयिका की सभी शर्तों को पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सत्र 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, संशोधन विनियमवली-2016 तथा अन्य विनियम विधेयिका एवं अंतर्गत पर अनुपालन करेगी तथा शुल्क विनियम उपस्थित द्वारा विधेयिका शुल्क तीन वर्षों के लिए पर्याप्त होगा हेतु रु. 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के लिए पर्याप्त पर 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पर्याप्त (दो वर्षों के लिए पर्याप्त) हेतु रु. 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही पर्याप्त (अनुसूचित) में प्राप्ति किया जावेगा। उपरोक्त के उपरान्त (अनुसूचित) में शुल्क के सम्बन्ध में तत्काल-समय पर सातम द्वारा निर्देश किये जाने वाले सलाहद्वारा प्रभावी होने, और तदनुसार कार्यवाही किए जाने आवश्यक होगा। प्रवेश विनियम समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु परीक्षा का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो परीक्षा की कार्यवाही दो साल होगी।
- ✓ संस्था को (30740 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा 34 समितियों, संस्थाओं को सम्बद्धता किया जाता) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुक्रम प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित करने को ही प्रवेश दिया जावेगा। शर्तों के विनियम सु करने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्णित सलाहद्वारा के अनुसार विनियम एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एडमिशन/सीटों/द्वारा वीक्षण/अनुमोदित से आगामी सत्र हेतु अनुमोदित प्राप्त किया जाकर आवश्यक होगा।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2022 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2022 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्था का ए0आर0सी0टी0ई0/पी0सी0आर0ई0 से अनुमोदन निर्यात किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई वाद टापर किया जाता है तथा टापर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्वत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आर0सी0टी0ई0/पी0सी0आर0ई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/बीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशों विधियों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पुरि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविधान हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैंकिंग टोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-पत्र, पत्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औपिक स्वतंत्र निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आर0सी0टी0ई0/पी0सी0आर0ई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनानुसंग कार्यवाही की जायेगी।

  
(एफ0आर0 सी0आर0 आर0)

सचिव

पु0सं0- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2022/9756-9830

दिनांक: 10/10/2022

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, KRISHAK COLLEGE OF PHARMACY

  
(एफ0आर0 सी0आर0 आर0)

सचिव

## कार्यालय

### राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद

#### उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/9755

तखनक: दिनांक: 10/10/2022

#### :-कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय वास्तुनित औषधि इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 10/10/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मही पर विचार कताते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4054-KRISHAK COLLEGE OF PHARMACY

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एउ-आइएसी/टी/आई/पी/सी/आई/ परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित	23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	40	40	

#### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एउ-आइएसी/टी/आई/पी/सी/आई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2000, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा मुक्त निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्ट्री पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्य किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश पढ़ाये होंगे, और तदनुसार कार्रवाई किये जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनरीक्षण किया जाता है, तो फीस की स्वीकृति दे दे लाना होगी।
- ✓ संस्था में संपूर्ण प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुत्या प्राप्त करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/विदेशी एवं विदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश,

